

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XIII, Sixth Session, 2015/1937 (Saka)
No. 9, Tuesday, December 8, 2015/ Agrahayana 17, 1937 (Saka)**

| <u>SUBJECT</u> | <u>PAGES</u> |
|--------------------------------------|--------------|
| ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| *Starred Question Nos. 121 to 123 | 7-33 |
| WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| Starred Question Nos. 124 to 140 | 34-98 |
| Unstarred Question Nos. 1381 to 1610 | 99-642 |

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| | |
|--|---------|
| PAPERS LAID ON THE TABLE | 644-649 |
| MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA | 650-651 |
| COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS 9 th and 10 th Reports | 652 |
| STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS | |
| (i) 8 th Report | 652 |
| (ii) Statement | 653 |
| ELECTION TO COMMITTEE Central Building and other Construction Workers' Advisory Committee | 654 |
| MOTION RE: 23RD REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE | 655 |
| MATTERS UNDER RULE 377 | 659-682 |
| (i) Need to impress upon Government of Uttar Pradesh to procure the paddy from farmers as per laid down rules particularly in Saharanpur district of the State | |
| Shri Raghav Lakhanpal | 660 |
| (ii) Need to set up a mechanism for disbursal of relief money directly to farmers for crop loss particularly in Uttar Pradesh | |
| Dr. Mahendra Nath Pandey | 661 |
| (iii) Need to conduct a fresh census of BPL families in Gujarat in order to facilitate extension of various government schemes to them | |
| Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava | 662 |
| (iv) Need to set up new Kendriya Vidyalayas in Jabalpur, Madhya Pradesh | |
| Shri Rakesh Singh | 663 |

- (v) Need to connect the Kailadevi wildlife sanctuary in Karauli district, Rajasthan with the Ranthambore wildlife sanctuary in Sawai Madhopur district in the State
Dr. Manoj Rajoria 664
- (vi) Need to set up a Sports University in Sirohi district, Rajasthan
Shri Devji M. Patel 665
- (vii) Regarding alleged irregularities in All India OBC Railway Employees Federation (AIOBCREF) meetings
Dr. Udit Raj 666
- (viii) Need to accord the status of Central University to Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Bihar
Shri Kirti Azad 667
- (ix) Need to provide Indira Awas to BPL families in Bhandara and Gondia districts of Maharashtra
Shri Nana Patole 668
- (x) Need to set up a Mega Food Park and Food Processing Unit in Rajgarh district of Madhya Pradesh
Shri Rodmal Nagar 669
- (xi) Need to enact a law regarding trial of court cases in a time bound and transparent manner
Shri Rattan Lal Kataria 670
- (xii) Need to implement the Sabari Rail Project
Shri Anto Antony 671

- | | | | |
|---------|---|-------------------------------|---------|
| (xiii) | Need to protect and preserve the number of Ponies in Manipur for equestrian sports | Dr. Thokchom Meinya | 672-673 |
| (xiv) | Need to increase the salary of Anganwadi workers and helpers in the country | Shri S.P. Muddahanume Gowda | 674 |
| (xv) | Need to build underpasses and elevated tollways on N.H. 46 between Vellore and Vaniyambadi in Tamil Nadu | Shri B. Senguttuvan | 675 |
| (xvi) | Need for early completion of Tindivanam-Nagari new broad gauge line | Shri G. Hari | 676 |
| (xvii) | Need to provide policy papers and receipts of premium paid by the farmers covered under crop insurance policy scheme in the country | Shri Krupal Balaji Tumane | 677 |
| (xviii) | Need to implement Andhra Pradesh Reorganisation Act in letter and spirit | Shri Ram Mohan Naidu Kinjrapu | 678 |
| (xix) | Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Pratapgarh parliamentary constituency, Uttar Pradesh | Kunwar Haribansh Singh | 679 |
| (xx) | Need to provide compensation to cotton growers of Haryana affected by the menace of whitefly | Shri Dushyant Chautala | 680 |

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| (xxi) | Need to implement Chandkhira Bagan to Kahnmun and Baroigram to Dullabchera railway projects | |
| | Shri Radheshyam Biswas | 681 |
| (xxii) | Need to ensure safety of people living downstream of Mullaperiyar dam | |
| | Adv. Joice George | 682 |
| | | |
| DISCUSSION UNDER RULE 193 | | |
| | Drought situation in various parts of the country | 685-687 689-692 |
| | Shri Sanjay Haribhau Jadhav | 685, 689 |
| | | |
| <u>ANNEXURE – I</u> | | |
| | Member-wise Index to Starred Questions | 693 |
| | Member-wise Index to Unstarred Questions | 694-700 |
| | | |
| <u>ANNEXURE – II</u> | | |
| | Ministry-wise Index to Starred Questions | 701 |
| | Ministry-wise Index to Unstarred Questions | 702-703 |

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, December 8, 2015/Agrahayana 17, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

... (*Interruptions*)

11.0 ½ hours

(At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Adv. Joice George; Shri N.K. Premachandran regarding safety of people living downstream of the Mullaperiyar Dam; Prof. Saugata Roy regarding Government's engagement with Pakistan on various issues; Shrimati P.K. Sreemathi Teacher regarding incidents of crime against women; Dr. A. Sampath regarding need to curb the menace of adulteration of food items and drugs; and Shri K.C. Venugopal regarding Muzaffarnagar riots.

... (*Interruptions*)

11.02 hours

(At this stage, Shri Prasanna Kumar Patasani and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: The matters, though important enough, do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities.

I have, therefore, disallowed the notices of Adjournment Motion.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seats. I just do not know what the matter is. Nothing is there.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is the matter? Please go to your seats. Let me know what has happened.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I do not know the issue.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Kharge *ji*, what is the matter, what is this happening?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I do not know; I do not have any notice, anything. What is the issue?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You go to your seats; tell me the issue. I just do not know any issue. How can it be?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are only shouting; there is no issue at all.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No issue is there; nothing is there.

... (*Interruptions*)

11.02 ½ hours**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

HON. SPEAKER: I am sorry. Now, Question Hour, Q. 121, Shri Rajan Vichare.

... (*Interruptions*)

(Q. 121)

श्री राजन विचारे: अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में महिलाओं और बच्चों के अपहरण की घटनाओं में कई गिरोह सक्रिय हैं।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार को पिछले दो सालों में महाराष्ट्र में किसी ऐसे गिरोह का पता चला है जो कि महिलाओं एवं बच्चों के अपहरण के काम में संलिप्त है।... (व्यवधान) पुलिस द्वारा ऐसे गिरोहों पर क्या कार्रवाई की गई है?

HON. SPEAKER: The House stands adjourned up to 11.30 a.m.

11.03 hours

*The Lok Sabha then adjourned till
Thirty Minutes past Eleven of the Clock.*

11.30 hours

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

... (*Interruptions*)

11.30 ½ hours

(At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Prasanna Kumar Patasani and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: Yes, Bhartruhari ji, would you like to say anything?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, we have given a notice relating to Polavaram Project. ... (*Interruptions*) Unilaterally, the Government of India is providing funds for this project though the case is pending in the hon. Supreme Court... (*Interruptions*) You please allow us to raise the Polavaram issue. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, I will allow you in 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

11.30 ¾ hours

(At this stage, Shri Prasanna Kumar Patasani and some other hon. Members went back to their seats.)

HON. SPEAKER: Mr. Kharge, what is your issue? I do not know anything.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you not have any issue?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is your issue? I do not understand as to why all of you are here.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Kharge, is there any issue?

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आप बैठ जाएं। आपका कोई इश्यु नहीं है। Let them tell their issue.

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: There is no issue. Nothing is there.

... (*Interruptions*)

11.31 hours**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS Contd.**

HON. SPEAKER: Shri Rajan Vichare, please ask your question.

... (Interruptions)

श्री राजन विचारे: अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में महिलाओं और बच्चों के अपहरण की घटनाओं में कई गिरोह सक्रिय हैं। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को महाराष्ट्र में पिछले दो सालों में किसी ऐसे गिरोह का पता चला है जो महिलाओं एवं बच्चों के अपहरण के काम में संलिप्त है एवं पुलिस द्वारा ऐसे गिरोह के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? केंद्र सरकार की इन गुमशुदा महिलाओं और बच्चों को ढूँढ़ने की क्या कोई योजना है? ... (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी) : महोदया, कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। ... (व्यवधान) भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में गृह मंत्रालय के पास अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि जानकारी प्राप्त होते ही उन्हें उपलब्ध कराएंगे। ... (व्यवधान) केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने इस विषय को प्राथमिकता से लिया है। 31 जनवरी, 2002 को विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की थी। 25 जून, 2013 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए भी विस्तृत एडवाइजरी जारी की थी। ... (व्यवधान) पूरे देश में 225 जिलों में एक्टिव ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट की भी स्थापना की है और 150 नए यूनिट्स हम हर राज्य में 50-50 परसेंट की पार्टनरशिप में भी करने वाले हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए ट्रेक चाइल्ड पोर्टल बनाया है। गृह मंत्रालय ने जनवरी, 2015 में एक स्कीम आपरेशन "स्माइल" चलाई थी। उसमें 9147 बच्चे ढूँढ़े गए थे। दूसरा आपरेशन "मुस्कान" जुलाई महीने में चलाया गया था। ... (व्यवधान) इस आपरेशन में 19742 बच्चे ढूँढ़े गए थे। हमने एक विस्तृत नेशनल इमरजेंसी सिस्टम बनाने का सोचा है, जिसमें पूरे देश में से कोई भी अगर 112 नम्बर पर काल करेगा, तो उसकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं। ... (व्यवधान)

श्री राजन विचारे: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा तलाश किये गये बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है या नहीं ताकि यह पता चल सके कि उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों एवं महिलाओं को ढूँढ़ने के लिए सोशल मीडिया की सहायता ली जा रही है या नहीं? ... (व्यवधान)

श्री हरिभाई चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह पार्टिकुलरली महाराष्ट्र का प्रश्न है, लेकिन बच्चों की पूरी देखभाल शेल्टर होम में की जाती है। ... (व्यवधान) यदि माननीय सदस्य को इस संबंध में विस्तृत जानकारी चाहिए, तो हम महाराष्ट्र सरकार से जानकारी लेकर दे देंगे। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I do not think there is any issue. please go back to your seats.

... (Interruptions)

श्रीमती कृष्णा राज: माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रति वर्ष पूरे देश में हजारों बच्चे और महिलाएँ गायब हो रहे हैं। आज जो आंकड़े पटल पर आये हैं, उनकी वास्तविकता यह है कि राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र में यथार्थ में अपहृत बालिकाएँ-महिलाएँ और बच्चे हैं, उनका आंकड़ा सही नहीं आ रहा है, ... (व्यवधान) इसका एक उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र का ही है। एक पूजा भुजवाल नाम की लड़की है, जो दो वर्षों से गायब है। ... (व्यवधान) उसका पूरा परिवार पेड़ के नीचे बैठता है। जब कोई वहाँ आता है, तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि ऐसी तमाम महिलाएँ जो गायब हैं, ... (व्यवधान) ऐसे तमाम बच्चे जो गायब हैं, उनके लिए आप राज्य सरकारों को निर्देशित करेंगे कि सही तरीके से मुकदमों में तथ्यों को सामने लाया जाए? ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि लाखों बच्चे हमारे देश से गायब हो रहे हैं, जिनमें से 55 फीसदी लड़कियाँ हैं। इसके बाद हमारी मुस्कान योजना चली, इस योजना के तहत 25,000 बच्चों को बरामद किया गया, ... (व्यवधान) किन्तु लाखों बच्चों और उन गुनाहगारों का पता नहीं चल पाया। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ऐसी फेक आईडी वाली तमाम कंपनियाँ चल रही हैं, उन पर आपके द्वारा कोई कार्रवाई सुनिश्चित करने की क्या आपकी कोई मंशा है? ... (व्यवधान) मैं चाहूंगी कि ऐसी फर्जी कंपनियों को निरस्त करते हुए, उन तमाम बेसहारा महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए कोई कठोर कदम उठाएँ? ... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, रेलवे में हर साल हमारे तमाम बच्चे और महिलाएँ गायब हो रही हैं, उनके बारे में क्या योजना है? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए, एक ही प्रश्न पूछना होता है। ऐसे नहीं होता है। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री हरिभाई चौधरी: माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न एक साथ पूछे हैं। बच्चों के लिए महिला और बाल कल्याण विभाग ने चाइल्ड ट्रैक पोर्टल बनाया है। ... (व्यवधान) पूरे देश में पुलिस स्टेशन्स में जो एफआईआर दर्ज होती हैं, उनकी मॉनीटरिंग होती है। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने रेलवे के बारे में पूछा है, रेलवे और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुमशुदा बच्चों और महिलाओं के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर की

शुरूआत कर दी है।... (व्यवधान) इसकी शुरूआत में बीस रेलवे स्टेशन्स, जिनमें बंगलौर, चेन्नई आदि स्टेशन्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट मैं आपको दे सकता हूँ, पर एक डेस्क बनाएंगे और मिसिंग हुए बच्चे को शेल्टर होम तक पहुंचाकर उसकी पूरी देखभाल केन्द्र सरकार करती है।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I just do not understand कि आप लोग किस बात को लेकर हल्ला कर रहे हैं। आप लोग वापस जाइए। मुझे बताएं तो सही।

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, क्या आपका भी कोई इश्यू है? Why are you standing?

Shri Sudip ji, why are you people standing? I do not understand. There is no issue.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I just do not know what the issue is.

Please go back to your seats. I am requesting all of you to go back to your seats. कोई इश्यू नहीं है, आपके केवल चिल्लाने से क्या समझ में आएगा? न आपके नेता कुछ बोल रहे हैं।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Without any issue इस प्रकार से चिल्लाना अच्छा नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है। यह ठीक नहीं है।

Shri C. Gopalakrishnan.

SHRI C. GOPALAKRISHNAN: Hon. Speaker, before I start my supplementary, first of all, I pray to my God leader, Puratchi Thalaivi Amma. ... (*Interruptions*)

The Justice Verma Commission Report served to jolt the nation as it found that a child goes missing in India every eight minutes on an average. One of the main reasons for the increasing number of missing children and kidnappings is 'inadequate law on missing children in the country', say experts. ...

(*Interruptions*)

Our beloved Chief Minister, Amma run many Schemes for the welfare of women and children. I would like to know from the hon. Minister, through you, Madam, whether the Government has taken any new initiatives to focus on prevention, prosecution and protection of missing women and children. Thank you, Madam. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I do not understand why you people are standing.

... (*Interruptions*)

श्री हरिभाई चौधरी: अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान) जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने ...(व्यवधान) बलात्कार एवं महिला के विरुद्ध होने वाले अन्य अपराधों जैसे छेड़खानी, पीछा करना, एसिड से हमला करना, सैक्सुअल हार्समेंट इत्यादि ...(व्यवधान) के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है। ह्युमन ट्रैफिकिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, सजा में बढ़ोत्तरी की गयी है...(व्यवधान) और पहले सात साल की सजा थी, अब उसे बढ़ाकर दस साल कर दिया गया है। गैंग रेप और परिभाषित किए गए रेप के अपराध के दायरे को बढ़ाया गया है।...(व्यवधान) इसमें पुलिस एफ.आई.आर. दाखिल करना जरूरी है। एफ.आई.आर. दाखिल न करने और अस्पताल में इलाज न कराने पर हमने सजा का प्रावधान किया है। ...(व्यवधान) आई.पी.सी. के नए सेक्शन 166-ए के तहत जो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करेगा, उसे छः महीने की सजा और अस्पताल में मिसिंग महिलाओं और बच्चों का इलाज नहीं करते, दवा नहीं देते, उन अस्पतालों के खिलाफ आई.पी.सी. के नए सेक्शन 166-बी के तहत कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shrimati Aparupa Poddar.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shrimati Aparupa Poddar, do you want to ask your Supplementary?

SHRIMATI APARUPA PODDAR: No, Madam.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Narsaiah Goud.

... (*Interruptions*)

DR. BOORA NARSAIAH GOUD: Thank you, Madam, for giving me the opportunity to ask my Supplementary. The statistics and the reality of missing

children and young women is a serious concern. The figures given by the Ministry are alarming.

What were isolated incidents earlier, now has become a business model. The children and women are being taken away as a business model. Now, they are inducted into the begging, flesh trade and even into the terrorism. You know that the ISIS and other groups in the North-Eastern States are abducting the children for inducting them into terrorism, which will be a huge serious security, financial and moral concern for our country.

Madam, I can tell that if any such isolated incident happens in the Western country like UK, the entire country will be after the missing children. But here, as a country, we are not very sensitive. I would request the hon. Minister to address this issue. It is not only just a statistics, it should also be taken up and addressed from the point of view of criminality, social security, finances involved and also security as a whole of the country.

I would like the hon. Minister to take a fresh look on this issue....
(Interruptions)

श्री हरिभाई चौधरी: अध्यक्ष महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि जिन बच्चों को अवैध व्यापार में लिप्त किया जाता है, उनसे बैगिंग कराई जाती है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद हमने इस बारे में दो स्कीम्स बनाई हैं, जिनके तहत 'ऑपरेशन स्माइल' और 'ऑपरेशन मुस्कान' लगभग 26,000 मिस्सिंग बच्चों को खोज निकाला है। ...(व्यवधान) हमारी इस पर कड़ी नजर रहती है कि कोई बच्चा अवैध व्यापार में न जाने पाए। उसके लिए सरकार सतर्क है।

श्री रत्न लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ गुमशुदा बच्चों एवम महिलाओं को कुछ गिरोहों द्वारा देह व्यापार के लिए यूज किया जाता है और विदेशों में भी तस्करी के तौर पर भेजा जाता है?... (व्यवधान) क्या इस तरह के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं, अगर आए हैं तो ऐसे गिरोहों का सफाया करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?

श्री हरिभाई चौधरी: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जैसा कहा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ गिरोहों द्वारा बच्चों का अपहरण करके उनसे बैगिंग कराई जाती है, अवैध व्यापार भी होता है, लेकिन इन सब पर सरकारी की कड़ी नजर रहती है। ...(व्यवधान) चिल्ड्रन शैल्टर्स में उनकी फोटो के साथ पूरा रजिस्टर मेनटेन

किया जाता है। केन्द्र सरकार इस बारे में एक नई स्कीम लाने वाली है, उस पर काम चल रहा है। हम पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क सिस्टम लाने की सोच रहे हैं, जिससे इन सारी बातों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। अभी इस पर काम चल रहा है। ... (व्यवधान) इन्वेस्टिगेशन केपेसिटी आफ क्राइम अगेंस्ट वूमैन की जानकारी स्टेट्स से मिल जाएगी। इस बारे में पूरे देश में 564 आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू. सेंटर सेटअप करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

PROF. SADHU SINGH : Madam, on the issue of missing children, I want to submit that in Faridkot as also the whole of Pubjab, hundreds of children are missing. And none of them have been traced by the Government of Punjab. I had lodged the complaint with the Home Ministry but the Home Ministry has never asked the Punjab Government as to why they have not been traced. The Home Ministry referred this case to the Punjab police of Punjab Government. I want to know from the Home Ministry whether they will trace out or not.

श्री हरिभाई चौधरी : अध्यक्ष महोदया, पिछले पांच साल में हमने सात अडवाइजरी सभी स्टेट और यूनियन टेरेटरीज़ को भेजी हैं... (व्यवधान) बार-बार हम निर्देश देते हैं। पिछले साल हमने एक विमन कान्फ्रेंस भी की है... (व्यवधान) हमने 44 अधिकारियों को अवॉर्ड्स भी दिए हैं। जनवरी, 2016 से हम मुस्कान नाम से एक स्कीम चलाने वाले हैं... (व्यवधान) हम पंजाब सरकार के साथ-साथ सभी सरकारों को निर्देश देते रहते हैं... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats. बिना इश्यु के आप लोग वैल में आकर चिल्ला रहे हो। Please go to your seats. Saugata Roy Ji, why all of you are standing? I do not understand. Please go to your seats.

Q.- 122 Shri Lalubhai Babubhai Patel – not present.

Shri Ashok Shankarrao Chavan – not present

Shri Satyapal Singh.

(Q. 122)

SHRI SATYAPAL SINGH : Thank you Speaker Madam. The root cause of terrorism is extremist, radical or *jihadi* ideology. I would like to ask the hon. Minister whether the Government of India has any plan to evolve a strategy or a potent or a positive ideology to counter this *jihadi* ideology because ideology can be countered only through ideology not through bloods.

I also want to know whether the Government of India is planning to amend the existing UAPA Act because this Act requires amendment so that an effective and stringent action can be taken against these radical preachers who are spreading this radical ideology in India.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): Madam, the Government is aware of the threat being posed by the spread of radical elements especially from ISIS and with regard to that, the series of broad-based strategy has been adopted by the Government of India to tackle and to see that all those spread of ISIS ideologies in India is countered effectively. For that, an effective counter radicalization strategy has been adopted and subsequent to that, the radicalization process also has been adopted and as hon. Member has mentioned that it has to be countered ideologically, so the Government has adopted effectively steps with regard to cultural, educational and other economic activities to ensure that the radical ideology of ISIS do not spread in the masses of India.

(Q. 123)

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी: अध्यक्ष महोदया, दालों के दामों में पिछले कई वर्षों में जिन लोगों ने पिछले दस वर्षों में इस देश में महंगाई बढ़ाई आज वही इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन को बाधित कर रहे हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दालों के दाम बढ़ने के क्या कारण रहे हैं और महंगाई रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम बीते वर्षों में उठाए हैं?... (व्यवधान) इसके अलावा बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?... (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष जी, यदि आप आंकड़ों के मुताबिक देखेंगे तो दालों के मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि हमारे प्रोडक्शन और डिमांड में काफी अंतर है...(व्यवधान) पिछली बार 193 लाख टन उत्पादन हुआ था और इस बार 172 लाख टन उत्पादन हुआ है...(व्यवधान) हमने पिछली बार 35 लाख टन आयात किया था, जबकि इस बार हमने 45 लाख टन इम्पोर्ट किया है...(व्यवधान) मूल्यवृद्धि का जो मुख्य कारण है, वह यह है कि हमारे यहां जो क्षेत्रफल है, वह दिनों-दिन घटता जा रहा है और यदि आप देखेंगे तो 252 लाख हैक्टेअर जमीन में 2013-14 में जो उत्पादन होता था, वह घटकर 231 लाख रह गया है। ... (व्यवधान)

तीसरी बात यह है कि जो आयात करते हैं, उसमें भी काफी धांधली होती है और जमाखोरी इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले चालीस वर्षों में दाल के उत्पादन में 18.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।...(व्यवधान) जबकि भारत की जनसंख्या में 130 परसेंट की वृद्धि हुई है। इसका नतीजा यह है कि चालीस साल पहले प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता 61 ग्राम थी, जो आजकल 32 ग्राम रह गई है। इसलिए मैंने कहा कि डिमांड और सप्लाई का सबसे बड़ा कारण है, दूसरा जमाखोरी का कारण है। ... (व्यवधान) हम लोगों ने इसके लिए कई कदम उठाये हैं, वह हमने जवाब में दे दिया है। उसमें एमएसपी का है, एक शार्ट टर्म प्रोग्राम है और दूसरा लांग टर्म प्रोग्राम है, ये सब हमने अपने जवाब में दे दिया है।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी: महोदया, 2014-15 में लगभग दो मिलियन मीट्रिक टन दाल का उत्पादन कम हुआ है और आपने राजस्थान समेत कई प्रदेशों में स्टॉक की सीमा भी तय की है और स्टॉक की सीमा तय करने से दाल के दाम कम होने लगे हैं। ... (व्यवधान) इसके कारण किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम भी नहीं मिल पा रहा है। व्यापारी भी स्टॉक की सीमा तय होने के कारण खरीद नहीं पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्टॉक की सीमा बढ़ाने पर और भविष्य में दाल की बढ़ी हुई कीमतों को रोकने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है?... (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैडम, स्टाक की सीमा 2007 से चल रही है और पहले इसमें जो तीन सैक्टर थे, जो आयात करते थे, दूसरा जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट था और तीसरा जो बिग मॉल थे, उन्हें अलग रखा गया था। ... (व्यवधान) अब हमने उन लोगों को साथ में दे दिया है।

जहां तक स्टाक का मामला है, उस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है और राज्य सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। ... (व्यवधान)

SHRIMATI K. MARAGATHAM: Madam Speaker, our hon. Chief Minister Amma has a vision that the price of pulses may go up and accordingly acted well in advance and imported 500 metric tonnes of pulses and now *dal* is being sold at Rs.30 per kilogram through the PDS and at Rs.110 per kilogram in cooperative stores in the State whereas in other parts of the country, the same is sold at Rs.200 and above per kilogram.

Madam, there are reports that there were delays in importing pulses by the Centre and it is also reported that two lakh tonnes of pulses were stagnant in the Mumbai Port for a long time. Therefore, I would like to know from the hon. Minister the steps taken by the Government in this regard as well as to release additional pulses to the State of Tamil Nadu in view of the flood situation in the State.

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदया, मैं तमिलनाडु की सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो जमाखोरी का मामला है या जमाखोरी के अंतर्गत जो भी सामान पकड़े गये हैं, ... (व्यवधान) उस पर उन्होंने काफी तत्परता से काम किया है और जो सामान आयात किया है, उसे भी उन्होंने खरीदने का काम किया है। ... (व्यवधान) इसके अलावा जो वहां की समस्या है, निश्चित रूप से तमिलनाडु राज्य की समस्या बहुत ही भयावह है। जहां तक आयात का मामला है, यह शिकायत मिली है कि जो इम्पोर्टर्स हैं, वे इम्पोर्टर्स वहां के पोर्ट पर माल खरीदकर रख देते हैं। ... (व्यवधान) यह मेल टुडे में भी निकला था, हमने उसकी रिपोर्ट की जांच करवाई है।

...(व्यवधान) जो विदेशी पोर्ट हैं, वहां से सामान खरीद कर वहां रख देते हैं, और धीरे-धीरे अपने देश में लाते हैं। फिर देश में आने के बाद भी जमाखोरी होती है। ...(व्यवधान) यह मुद्दा मेन राज्य सरकार का है और राज्य सरकार को हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। ...(व्यवधान) राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। ...(व्यवधान) जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र की सरकार ने 87 हज़ार टन, जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, उनसे निकालने का काम किया है। ...(व्यवधान) हम लोगों ने हिदायत दी है कि आप इसको या तो पीडीएस के द्वारा डिस्ट्रिब्यूट करो, पीडीएस में नहीं कर सकते हो तो इसको फिक्स्ड प्राइस पर करो और वह भी नहीं कर सकते हो तो नीलामी के द्वारा करो। ...(व्यवधान) राज्य सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। ...(व्यवधान)

श्री विनायक भाऊराव राजतः अध्यक्ष महोदया, दाल का प्रश्न पूरे देश में बहुत गंभीर हो रहा है। ...(व्यवधान) खास कर, जैसा कि मंत्री महोदय जी बताया है कि जमाखोरी और चोरबाज़ारी करने वालों के ऊपर छापे मारे हैं, सबसे ज्यादा जमाखोरी और चोरबाज़ारी महाराष्ट्र में हुई है। ...(व्यवधान) यह साबित हो रहा है कि करीबन 5250 छापे वहां मारे गए हैं और 86709 मीट्रिक टन दाल जब्त हो चुकी है। ...(व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि दाल के जो भाव बढ़े हैं, उसका एक कारण दाल की चोरी और जमाखोरी हो सकता है। ...(व्यवधान) अगर हाँ, तो उसके बारे में केंद्र सरकार भविष्य में क्या प्रावधान करने वाली है? ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि दाल की मूल्यवृद्धि में सबसे बड़ा कारण यह जमाखोरी रहा है। ...(व्यवधान) इस जमाखोरी को रोकने के लिए असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों से हम लोगों ने बार-बार आग्रह किया है और कर रहे हैं। ...(व्यवधान) यह बात सही है कि करीब 86 हज़ार टन से ज्यादा सामान महाराष्ट्र सरकार ने जब्त किया है। ...(व्यवधान) हम लोगों ने कहा था इस सामान को आप डिस्पोज़ ऑफ कीजिए और महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में कार्रवाई कर रही रही है। ...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले, यहां पर जो नारे लग रहे हैं कि नहीं चलेगा, होश में आओ, तो यह किसके बारे में कह रहे हैं? ...(व्यवधान) हमारे बारे में कह रहे हैं, अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं या ज्युडिशियरी के बारे में बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह किसी को नहीं मालूम है, आप प्लीज़ अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि दाल के उत्पादन में गए दस साल से उत्पादन और मांग के संबंध में जो मिसमैच है, सरकार इस संबंध में लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग करेगी? ... (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैडम, लॉन्ग टर्म में सरकार के पास एमएसपी बढ़ाने का काम है। ... (व्यवधान) हम लोगों ने 275 रुपये इस बार एमएसपी के बोनस के साथ में बढ़ाए हैं और कुछ दालों में 250 रुपये बढ़ाए हैं। ... (व्यवधान) लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमारी जमीन है, जितने हैक्टेयर में उत्पादन होता है, जैसा मैंने पहले बताया है कि जो दाल का उत्पादन होता था, वह अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। ... (व्यवधान) चूंकि दाल कोई कैश क्रॉप नहीं रह गया है तो नतीजा है कि दाल की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। ... (व्यवधान) महंगाई का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि विदेशों से, जहां से हम दाल मंगाते थे, जैसे मयंमार से मंगाते थे, अफ्रीका से मंगाते थे, ऑस्ट्रेलिया से मंगाते थे या कनाडा से मंगाते थे, वहां स्वयं दाल की उपज कम हो गई है। ... (व्यवधान) एक तरफ हमारे यहां जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, प्रोडक्शन की मांग 9 लाख टन प्रति साल बढ़ती जा रही है और उसका उत्पादन 192 लाख टन से घट कर के 172 लाख टन हो गया है तो दो मिलियन टन घट गया है और जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंपोर्ट के लिए केवल पांच हजार टन, जैसे अरहर और उड़द के लिए हम लोगों ने कई बार टेंडर दिया, छह-छह बार टेंडर दिया, लेकिन कोई आता ही नहीं है। ... (व्यवधान) जब बाहर दाल नहीं है, अपने यहां दाल का उत्पादन कम हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ये सारी समस्याएं हैं, जिसके कारण से ये दाल की कीमत बढ़ गई है। ... (व्यवधान) जो जमाखोर लोग हैं, वे जरूरत से ज्यादा नाजायज फायदा उठाते हैं। ... (व्यवधान) हम राज्य सरकारों से बार-बार आग्रह कर रहे हैं और इस सदन के माध्यम से फिर राज्य सरकारों से आग्रह करना चाहते हैं कि राज्य सरकारें जमाखोरों के खिलाफ कोई लापरवाही न बरतें, जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। ... (व्यवधान) अभी भी यदि जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो जैसा मैंने कहा कि 45 लाख टन, 11 लाख टन का गैप है, लेकिन 45 लाख टन जो इम्पोर्ट हुआ है और जो हमारे यहाँ उपज हुई है, दोनों का ठीक से संतुलन किया जाए तो दाम में कमी आ सकती है। ... (व्यवधान) कहीं-कहीं दाम में कमी आई है और धीरे-धीरे महंगाई कम होती जा रही है। ... (व्यवधान)

12.00 hours

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपनी-अपनी जगह पर जाइए। ना आपके नेताओं ने, ना आपने कोई नोटिस दी है, मुझे मालूम ही नहीं है कि आप कौन सा विषय उठाना चाहते हैं? ऐसे में मैं आपको अलाऊ कैसे करूँ?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am ready to allow, but I just do not know कि कौन सा इश्यू आप उठाना चाहते हो? इस तरीके से नारे लगाने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। कोई बताए कि क्या इश्यू है? Please go to your seats. This is not fair.

...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, सदन की कार्रवाई अच्छी तरह से चल रही थी।...(व्यवधान) हम आपसे पूरी तरह से सहमत हैं कि इनका जो विषय है, हमारे माननीय सदस्यगण जो विषय रखना चाहते हैं, वे निश्चित रूप से अपना विषय रखें।...(व्यवधान) न तो सदन को पता चल रहा है कि इनका विषय क्या है, स्पीकर महोदया न ही आपको पता चल रहा है कि इनका विषय क्या है?...(व्यवधान) अगर इस प्रकार से हमारे माननीय सदस्य जो कल तक हमारे साथ थे, आज अचानक ऐसी कौन सी घटना हो गई कि वे इतने विचलित होकर सदन के भीतर आ गए हैं।...(व्यवधान) अगर ये अपनी बात बिना नोटिस के भी रखना चाहें तो अपनी सीट पर जाकर अपना विषय रखें।...(व्यवधान) हम सब सुनने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान) आखिर विषय क्या है, इसके बारे में वे अपनी कुर्सी पर जाकर बोलें।...(व्यवधान) हम सुनने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान) इनका विषय क्या है, देश की जनता यह सुनना चाहती है।...(व्यवधान) देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर हमारे कांग्रेस के सदस्य इतने उत्तेजित होकर के सदन के भीतर क्यों आए हैं?...(व्यवधान) यह पूरा देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है और इसमें सरकार से उनकी क्या उम्मीद है, हम वह भी सुनना चाहते हैं।...(व्यवधान) यह बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है कि बिना नोटिस के, बिना कारण बताए, ये सभी सदस्य भीतर आ गए हैं।...(व्यवधान) आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, बाकी सदस्यों को भी नहीं पता, आखिर यह विषय है क्या, जिसके कारण ये सदन के भीतर आकर नारा लगा रहे हैं।...(व्यवधान) यह तो पता चलना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं भी जानना चाहती हूँ, मगर वे अपनी सीट पर जाएं, कोई बोले तो हम समझें।

...(व्यवधान)

12.03 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON.SPEAKER: Now Papers to be Laid on the Table.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2015 का संख्यांक 31)- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय पूल के लिए धान की अधिप्राप्ति और कुटाई के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT 3264/16/15]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2015 जो 29 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0814(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3265/16/15]

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 जो 17 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 636(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य राजसहायता का नकदी अंतरण नियम, 2015 जो 21 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 649(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 3266/16/15]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवीं मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवीं मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (3) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवीं मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3267/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Engineering Projects (India) Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.
- (ii) Annual Report of the Engineering Projects (India) Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3268/16/15]

- (b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.
- (ii) Annual Report of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3269/16/15]

- (2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bharat Heavy Electricals Limited the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 3270/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 167 of the Assam Rifles Act, 2006:-

- (1) The Assam Rifles (Group 'C' Combatised posts) Recruitment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 120 in Gazette of India dated 27th June, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3271/16/15]

- (2) The Assam Rifles, Veterinary Field Assistant (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 32 in Gazette of India dated 28th February, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3272/16/15]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं श्री कृष्ण पाल के स्थान पर निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) नेशनल बैंकवर्ड क्लासेस फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बैंकवर्ड क्लासेस फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3273/16/15]

(ख) (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3274/16/15]

(3) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 3275/16/15]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(डॉ. संजीव बालियान) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता

हूँ :-

(1) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3276/16/15]

(3) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4घ के अंतर्गत पादप संघरोघ (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश 2015, जो 15 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का0आ0 2496 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 3277/16/15]

MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, on behalf of Shri Jayant Sinha, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

- (1) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 34 of 2015) - Performance Audit of Renewable Energy Sector in India, Ministry of New and Renewable Energy, for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3278/16/15]

- (2) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 28 of 2015) - Performance Audit of Total Sanitation Campaign/Nirmal Bharat Abhiyan, Ministry of Drinking Water and Sanitation, for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3279/16/15]

- (3) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 33 of 2015) - Performance Audit of Tribal Sub-Plan (2011-2012 to 2013-2014), Ministry of Human Resource Development, Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of AYUSH.

[Placed in Library, See No. LT 3280/16/15]

- (4) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 26 of 2015) – (Indirect Taxes-Service Tax) Levy and Collection of Service Tax on Works Contract, Department of Revenue, for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3281/16/15]

- (5) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 29 of 2015) – Fire accidents in passenger coaches in Indian Railways and Distribution and Utilisation of safety items in Indian Railways, for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3282/16/15]

- (6) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 30 of 2015) – (Compliance Audit) Scientific and Environmental Ministries/Departments, for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3283/16/15]

- (7) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services)(No. 37 of 2015)–Navy and Coast Guard for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3284/16/15]

- (8) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil)(No. 32 of 2015)–Union Territories without Legislatures (Compliance Audit Observations) for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3285/16/15]

- (9) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 27 of 2015)–Performance Audit of Land Management in Major Ports, Ministry of Shipping.

[Placed in Library, See No. LT 3286/16/15]

- (10) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways)(No. 24 of 2015)–(Audit Report Volume I & II) for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3287/16/15]

12.04 hours

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA***

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

‘I am directed to inform the Lok Sabha that the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2015, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th August, 2015, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 7th December, 2015, with the following amendments:-

CLAUSE 4

1. That at page 2, ***for*** lines 25 to 28, the following be ***substituted***, namely:

“transferred to the court having jurisdiction under sub-section (2) of section 142, as amended by the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015, shall be deemed to have been transferred under this Act, as if that sub-section had been in force at all material times.”.

2. That at page 2, ***for*** lines 41 to 43, the following be ***substituted***, namely:-

“Court, such court shall transfer the case to the court having jurisdiction under sub-section (2) of section 142, as amended by the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015, before which the first case was filed and is pending, as if that sub-section had been in force at all material times.”.

* Laid on the Table.

CLAUSE 5

3. That at page 2, for line 44, the following be substituted, namely:-

| | | |
|---------------------|--|-----------------|
| Repeal and Savings. | “5. (1) The Negotiable Instruments (Amendment) Second Ordinance, 2015, is hereby repeated.”. | Ord. 7 of 2015. |
|---------------------|--|-----------------|

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.’

Madam, Speaker, I lay on the Table the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2015, as returned by Rajya Sabha with amendments.

12.05 hours

**COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
9th and 10th Reports**

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I beg to present the Ninth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings (Sixteenth Lok Sabha) on Hindustan Organic Chemical Limited (HOCL) and Tenth Report of Committee on Public Undertakings (Sixteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Sixth Report of Committee on Public Undertakings on Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited (BHAVINI).

12.06 hours

**STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
(i) 8th Report**

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): I beg to present the Eighth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways on Action Taken by Government on the recommendations contained in their Fourth Report on 'Demands for Grants – 2015-16 of the Ministry of Railways'.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये। आप खड़े क्यों हैं? आप लोग बैठिये।

...(व्यवधान)

(ii) Statement

SHRI DINESH TRIVEDI: I beg to lay on the table the Statement (Hindi and English versions) on Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter-I of the 6th Report of the Standing Committee on Railways (16th Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in their 23rd Report (15th Lok Sabha) on ‘Suburban Train Services of Indian Railways, with particular emphasis on security of women passengers’.

... (*Interruptions*)

12.06 ½ hours

ELECTION TO COMMITTEE

Central Building and Other Construction Workers' Advisory Committee

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to move the following :

“That in pursuance of Section 3(2)(b) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 read with Rule 11(2) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Central Rules, 1998, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the Central Building and Other Construction Workers' Advisory Committee (referred to as Central Advisory Committee), subject to other provisions of the said Act and Rules made thereunder.”

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of Section 3(2)(b) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 read with Rule 11(2) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Central Rules, 1998, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the Central Building and Other Construction Workers' Advisory Committee (referred to as Central Advisory Committee), subject to other provisions of the said Act and Rules made thereunder.”

The motion was adopted.

... (Interruptions)

12.07 hours**MOTION RE: 23rd REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): I beg to move the following :

“That this House do agree with the Twenty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 7th December, 2015.”

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Twenty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 7th December, 2015.”

The motion was adopted.

... (*Interruptions*)

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour'.

... *(Interruptions)*

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को इस बात की सहमति देनी होगी कि बीजू जनता दल ने कोई विषय उठाने की बात कही है। वे सभी सदस्य यहाँ आए, हम लोगों ने आग्रह किया, वे सदन में अपनी सीट पर चले गए हैं। आप कृपया उनसे बुलवाएँ और इनसे आग्रह करें कि बाकी सदस्यों की बात सुनने का थोड़ा सा पेशेन्स रखें।

HON. SPEAKER: Yes, Shri Prasanna Kumar Patasani.

... *(Interruptions)*

SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): I would like to express my deep concern at the manner in which the interest of the State of Odisha is being sacrificed in the matter of Polavaram Project without addressing our legitimate concern. ... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : पाटसाणी जी एक मिनट बैठिये।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy, why are you standing? I do not know.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Please take your seat.

... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : आपको कोई बात कहनी है क्या? This is not the way. हाउस में इस तरीके से खड़ा नहीं हुआ जाता। आप सीनियर हैं, आप समझ रहे हैं। I do not understand.

... *(Interruptions)*

SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI : It is most unfortunate that construction of the project is proceeding unilaterally despite the case pending before the Supreme Court. ... *(Interruptions)* Even the Ministry of Tribal Affairs has purportedly cleared the project based on the provisions of embankment of about 30 kms. stretch inside Odisha territory to prevent the submergence of tribal

villages within the State of Odisha without taking the views of the State of Odisha into consideration. ... (*Interruptions*)

The Ministry of Environment and Forests and Climate Change issued Stop Work Order on 8th January 2011 banning all construction activities of Polavaram project. ... (*Interruptions*) Despite this, how the Central Government dared to sanction about Rs. 10,000 crore? ... (*Interruptions*) It is a tribal area consisting of 620 villages of poor, downtrodden people who will be drowned. ... (*Interruptions*) So, it is a great loss to my State of Odisha ... (*Interruptions*)

My hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik has already prayed and made a submission in this regard through a letter, but the Central Government is not responding to it. My appeal to you, Madam, is that the local MP may be allowed to speak on this matter. My submission is that this matter must be considered, debated and discussed on the floor of this Parliament. ... (*Interruptions*)

Madam Speaker, you must order the hon. Minister to stop the work and give a statement. ... (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): We want a statement on the floor of the House. This is a very serious issue. ... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): We demand a reply from the Minister on this issue. Unilaterally, they are going ahead with that project. We are not against the project *per se*. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Again and again, I am requesting you to go back to your seats. सूखे पर चर्चा करनी है, शून्यकाल लेना है, आपका इश्यू मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी-अपनी सीट पर जाइये, आपको जो भी कुछ कहना है, I will allow your leader to speak, but this is not the way. I just do not know what the issue is. Without knowing the issue, how can we solve the problem? All of you should go back to your seats. If anybody wants to say anything, I am ready to allow him, but this is not the way. इस तरीके से आप सदन का काम नहीं करने दे रहे। That

is really very bad, भर्तृहरि जी, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। I am sorry to say that you do not want the House to run.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Is it the way?

Now, the House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

12.12 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hours

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House immediately. Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within the stipulated time; the rest will be treated as lapsed.

... (*Interruptions*)

14.01 hours

(At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (*Interruptions*)

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to impress upon Government of Uttar Pradesh to procure the paddy from farmers as per laid down rules particularly in Saharanpur district of the State.

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : उत्तर प्रदेश राज्य में धान की पैदावार करने वाले किसान अपनी धान की फसल की बिक्री को लेकर परेशान हैं। राज्य में एक भी जनपद में धान खरीद केंद्र समय से संचालित नहीं हो पाया है।

मेरे जनपद में सहारनपुर में धान क्रय केंद्र खुलने की तिथि निर्धारित तो 01 अक्टूबर की गयी थी, किंतु ये धान क्रय केंद्र नवम्बर माह में ही खुल पाए हैं जबकि जनपद में धान खरीद का लक्ष्य 2300 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था।

14 धान खरीद केंद्र सहारनपुर जनपद में राज्य सरकार द्वारा खोले गये और उन सभी केंद्रों में किसान की धान की फसल खरीदने में केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से आनाकानी की जाती है और अधिकांश किसानों को बैरंग ही लौटा दिया जाता है जिस कारण किसान अपनी फसल को बाजार में औने-पौने मूल्य में बेचने को विवश हो रहे हैं। उदाहरण के रूप में धान खरीद का सरकारी मूल्य जहाँ 1410 रूपए से 1440 रूपए निर्धारित था लेकिन बाजार में मूल्य 1000 रूपए से 1100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से किसान अपनी फसल बेचने को बाध्य हैं।

सहारनपुर में अब तक मात्र 450 मीट्रिक टन धान खरीदा जा सका है और जनपद में धान उत्पादन का जहाँ एक प्रमुख स्थल होता था, 150 से ज्यादा चावल मिल्स जनपद में स्थापित थीं, वहीं वर्तमान में मात्र 14 चावल मिल्स ही संचालित हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश जारी करे कि धान की पैदावार करने वाले किसानों की फसलों की खरीद सही तरीके से हो और धान क्रय केंद्रों पर कथित रूप से किसानों का उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

(ii) Need to set up a mechanism for disbursement of relief money directly to farmers for crop loss particularly in Uttar Pradesh.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : विगत रबी मौसम के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों एवं देश के कई राज्यों में अतिवृष्टि एवं चक्रवात के कारण किसानों की खड़ी फसल नष्ट हो गई है जिसमें केंद्र सरकार ने पर्याप्त राहत राशि भेजी और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों को उस राशि से अतिरिक्त आवश्यकतानुसार आपदा राहत कोष से वितरण करने का भरोसा भी दिया। लेकिन खेद का विषय है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों चन्दौली, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर एवं अन्य अनेक जिलों में फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए लेखपाल एवं राजस्व कर्मियों द्वारा आकलन के बाद भी सभी वांछित किसानों को राशि वितरित नहीं की जा सकी। उत्तर प्रदेश राज्य में इस वर्ष भी प्रकृति की मार से 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं। किसानों को फिर एक बार दोहरी मार झेलनी पड़ी।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार संघीय ढाँचे की व्यवस्थाओं को क्षति पहुंचाये बिना नियमानुसार एक ऐसा पारदर्शी संयुक्त उपक्रम बनाये जिससे किसानों को केंद्र सरकार से भेजी गई राशि सीधे प्राप्त हो सके ताकि किसान अपनी जरूरत के मुताबिक पूरा पैसा प्राप्त कर उसे उपयोग कर सकें।

(iii) Need to conduct a fresh census of BPL families in Gujarat in order to facilitate extension of various government schemes to them.

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदोली) : भारत की आबादी में गरीबों का अनुपात हमेशा विवाद में रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान और नीति-नियंताओं की दिलचस्पी सदा इस बात की रही है कि देश में गरीबी को कम से कम और तेजी से घटते हुए दिखाया जाए ताकि प्रचलित आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं की प्रासंगिकता नजर आए। सामाजिक, आर्थिक जनगणना के नतीजों ने इसकी पुष्टि की है। वर्ष 2011 में सामाजिक व आर्थिक आयाम को भी शामिल किया गया। इस जनगणना के मुताबिक ग्रामीण भारत में एक तिहाई परिवार गरीब हैं और ऐसा हर पाँचवा परिवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखता है। ग्रामीण भारत के सवा तेरह फीसद परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ एक कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं। बी.पी.एल. के आंकड़े कुछ भी हो, असंगठित क्षेत्र की रोजगार असुरक्षा और कृषि क्षेत्र के व्यापक संकट से गरीबी को मापने के अब तक अपनाए जाते रहे पैमानों पर सवालिया निशान लगा दिया है और जो गणना अब तक हुई है, उसमें हुई गड़बड़ी के कारण बी.पी.एल. में आने वाले बहुत लाभार्थी वंचित रह गये हैं और जनगणना में बहुत गड़बड़ी हुई है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गुजरात के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बी.पी.एल. परिवारों की पुनः गणना करायी जाए ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ सभी बी.पी.एल. परिवारों को मिल सके।

(iv) Need to set up new Kendriya Vidyalayas in Jabalpur, Madhya Pradesh.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर (मध्य प्रदेश) में रक्षा उत्पादन से संबंधित कई बड़ी इकाइयों के साथ ही केंद्र पोषित कई संस्थान स्थापित हैं। जबलपुर में वर्तमान में लगभग 9 केन्द्रीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं जिनमें न्यूनतम फीस पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान है। जबलपुर में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्षेत्रीय मुख्यालय भी स्थापित है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था और न्यूनतम फीस के कारण हर अभिभावक अपने बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश कराना चाहते हैं। हर वर्ष अभिभावक अपने बच्चों को जबलपुर के केन्द्रीय विद्यालयों में एडमिशन का आवेदन करते हैं और इन आवेदनों की संख्या हज़ारों में होती है।

जबलपुर में वर्तमान में कई ऐसे केन्द्र पोषित संस्थान हैं जिनमें नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रावधान किया जा सकता है जैसे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी, ग्रे आयरन फैक्ट्री, जम्मू एण्ड कश्मीर रायफल्स, ग्रेनेडियर्स रेजीमेंटल सेन्टर के साथ ही जबलपुर प्रशासन के अंतर्गत नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जा सकते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जबलपुर में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की माँग पर शीघ्र विचार किया जाए।

(v) Need to connect the Kailadevi wildlife sanctuary in Karauli district, Rajasthan with the Ranthambore wildlife sanctuary in Sawai Madhopur district in the State.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के जिला करौली स्थित कैलादेवी अभ्यारण्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। कैलादेवी अभ्यारण्य सवाई-माधोपुर के रणथम्भौर अभ्यारण्य से लगा हुआ है। रणथम्भौर अभ्यारण्य पूरे देश में टाइगर संरक्षण एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे लगा कैलादेवी अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चार गुना अधिक बड़ा है। रणथम्भौर अभ्यारण्य में क्षेत्रफल की कमी के कारण इसके टाइगर कैलादेवी अभ्यारण्य में समय-समय पर विचरण करते हैं। यदि कैलादेवी अभ्यारण्य को रणथम्भौर अभ्यारण्य से जोड़ते हुए इसका एक रास्ता कैलादेवी-करौली होते हुए बनाया जाता है तो इससे करौली, धौलपुर, दौसा व भरतपुर जिलों में पर्यटन का विकास होगा एवं टाइगरों को विचरण के लिए पर्याप्त स्थान भी मिलेगा।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि करौली जिले के कैलादेवी अभ्यारण्य को सवाई-माधोपुर के रणथम्भौर अभ्यारण्य से जोड़ते हुए इसका विकास करवाकर पर्यटन को बढ़ावा दिलाएं।

(vi) Need to set up a Sports University in Sirohi district, Rajasthan.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : खेल देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न पहलू हैं। खेल शिक्षा एवं मानव के व्यक्तित्व विकास का भी अखण्ड हिस्सा हैं। खेलों की संस्कृति को लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए खेलों के उपयुक्त बुनियादी ढाँचे की जरूरत है। देश में बच्चों, किशोरों और युवाओं की आबादी 77 करोड़ है। इनमें से महज पाँच करोड़ की पहुँच संगठित सुविधाओं तक है और ये सुविधाएं भी शहरी इलाकों तक सीमित हैं। करीब 75 प्रतिशत आबादी मोटे तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहती है और खेलों की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिरोही और जालौर दोनों जिले की जनसंख्या लगभग 38 लाख 85 हजार 286 है। इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दोनों जिलों में खेल प्रतिभा के लिए आधारभूत संरचना का अभाव है। युवाओं के अंदर बचपन से ही खेल कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जाए ताकि युवा खेल को कैरियर के रूप में चुन सकें। यहाँ के खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण और मूलभूत सुविधा मिले तो ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने में पूर्णतः समर्थ हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के सिरोही और जालौर दोनों जिलों में खेल प्रतिभा के समुचित विकास के लिए सिरोही जिले में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं।

(vii) Regarding alleged irregularities in All India OBC Railway Employees Federation (AIOBCREF) meetings

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister of Railways towards alleged irregularities and anomalies going on in circulation of the list of office bearers of All India OBC Railway Employees Federation (AIOBCREF) during the last one and a half year. The officers of the Railway Board are not even bothered to verify the actual attendance registers of employees for the date on which their presence was marked in the CEC meeting of the AIOBCREF in Delhi. If the employee is working in his place of posting far away from Delhi, how can he be presumed to have attended the CEC meeting? The officers of the Railway Board have failed to cross check the genuineness of the minutes of the meeting and not perused the original records of the Federation. Further, the Federation has not been able to produce certification from the Registrar of Societies, yet such dubious committees are being given facilities by the Railways at the cost of public exchequer. On several occasions, Railway officers have advised me to go to a Court of Law for remedy, but they do not want to set right their in-house mistakes.

(viii) Need to accord the status of Central University to Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Bihar.

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 42 अंगीभूत और 24 कालेज संबद्धता (मान्यता प्राप्त) कालेज हैं। प्राचीन काल में मिथिला की शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रही है, खासकर दर्शन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। वर्तमान में मिथिला का यह भू-भाग कई कारणों से अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया है। यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहा है, उद्योग विहीन है, कृषि ही इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य पेशा है। लोग अपने बच्चों को उच्च एवं बेहतर शिक्षा के लिए दूर भेजने में असमर्थ हैं। इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो।

(ix) Need to provide Indira Awas to BPL families in Bhandara and Gondia districts of Maharashtra.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : केंद्र सरकार की इंदिरा आवास विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2001 में हुई जनगणना के आधार पर चिन्हित बी.पी.एल. परिवारों को अभी तक महाराष्ट्र राज्य के भंडारा व गोंदिया जिलों में आवास सुविधा उपलब्ध न हो पाना एक अत्यंत गंभीर समस्या का विषय बना हुआ है, जिसके कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पिछड़े व अन्य वर्गों के चिन्हित बी.पी.एल. परिवारों में काफी रोष व्याप्त है। योजना के अंतर्गत पिछड़े व अन्य वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा हुई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों की शिथिलता के चलते आज तक चिन्हित बी.पी.एल. परिवारों को आवास आवंटन की योजना अधूरी पड़ी है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आवास योजना से संबंधित मामलों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए और शीघ्र ही इस योजना के अंतर्गत भंडारा-गोंदिया जिलों के चिन्हित बी.पी.एल. परिवारों को आवास के आवंटन हेतु सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

(x) Need to set up a Mega Food Park and Food Processing Unit in Rajgarh district of Madhya Pradesh.

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : राजगढ़ जिला (मध्य प्रदेश) मुख्यतः कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की तकरीबन 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है जिसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि कार्य है। राजगढ़ जिले में गेहूँ, चना, मक्का, प्याज, लहसुन, आदि की खेती की जाती है। साथ ही साथ इस जिले में सोयाबीन, धनिया, संतरा, आंवला एवं सीताफल आदि की खेती भी प्रमुखता से की जाती है। यहाँ के कृषि उत्पादों की पूरे देश में आपूर्ति की जाती है किन्तु इन उत्पादों के उचित रख-रखाव और संग्रहण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अधिकांशतः फसल बर्बाद हो जाती है जिससे किसानों का काफी नुकसान होता है।

राजगढ़ जिले में अगर मेगा फूड पार्क व फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कर दी जाए तो हमारे अन्नदाता किसान भाईयों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ तो मिलेगा ही, कृषि उत्पादों का नुकसान होने से भी बचाया जा सकेगा। इसके साथ ही विभिन्न कृषि उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से देश और विदेशों तक आसानी से एवं सुरक्षित रूप से निर्यात हो सकेगा और क्षेत्र के गरीब किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

राजगढ़ जिले में मेगा फूड पार्क एवं प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से सिर्फ किसानों और कृषि कार्य में संलिप्त लोगों को ही लाभ नहीं मिलेगा बल्कि यहाँ के अन्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और रोजगार का सृजन होगा। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन, रोजगार न होने के कारण होता है। मेगा फूड पार्क की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को प्रभावी तरीके से रोका जा सकेगा। साथ ही, हमारी सरकार को खेती के व्यवसाय को लाभप्रद बनाने एवं अंतिम व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य भी सार्थक होगा।

(xi) Need to enact a law regarding trial of court cases in a time bound and transparent manner.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को पारदर्शी प्रशासन देने के लिए "सबका साथ-सबका विकास" का संकल्प लिया है जिसे देश की जनता साकार करने में जुटी है। मैं माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी से यह माँग करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के "सबका साथ और सबका विकास" के संकल्प के साथ सबको पारदर्शी एवं शीघ्र न्याय का संकल्प भी जोड़ दें तो देश के करोड़ों लोगों को न्याय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता की माँग पर सभी अदालतों में ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था का आदेश दे चुके हैं और इसमें होने वाले पूरे खर्च को केंद्र सरकार द्वारा वहन करने का विश्वास भी दिला चुके हैं।

अतः मेरा माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस संबंध में एक बिल तुरंत लोक सभा में लाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(xii) Need to implement the Sabari Rail Project

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I request the Government to implement the Sabari Rail Project. Sabari Rail is a dream project of Kerala as it links Sabarimala Shrine with the rest of the country. The Sabarimala Shrine is visited by four crore devotees from various parts of the country every year. Moreover, Sabari Rail connects many remote areas in the State of Kerala. The project was declared in 1997-98 Railway Budget but is still pending. During the last 18 years, the Government has spent a sum of Rs. 163 crore on this project while the actual cost of implementation will be Rs. 1600 crore. I would like to draw the attention of the Hon'ble Railway Minister towards the Hon'ble Chief of Kerala's recent statement that the State will bear 50 per cent cost for implementation of the Project. Therefore, I humbly request the Government to kindly take the further steps with regard to the implementation of the Sabari Rail Project.

(xiii) Need to protect and preserve the number of Ponies in Manipur for equestrian sports

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Sagol Kangjei is the mother of modern game of Polo. In Manipuri terms, Sagol means pony/ horse. 'Kangjei' means a polo stick. It is used by the players mounted on ponies for playing the game and hitting a white ball (Kangdrum) made of bamboo root. Polo has, been a game patronised by the royalty and the upper crust of society, not only in India but abroad. In Manipur, it has always been a game for common man. The antiquity of Polo in Manipur is shrouded amidst cobwebs of myths and rituals. Ponies figure prominently in Manipur mythology and have an undeniable presence in the social life of Manipur: Born in obscurity, spotted by civilization, Polo became a World sports by proxy. Though this majestic game had always been an integral part of the Manipuri ethos, it was the Britishers who actually gave it a place in the world.

The Polo game is played on horseback between two teams of four players each on a grass field and between two goal posts. It is the oldest of equestrian sports. The prominent patrons of the game were King Kyamba and King Khagemba (1597-1672 AD.) and King Chandra Kirti (1850 - 1886 AD.). The latter, especially, is to be credited with popularising the sport in other parts of the world.

The Guinness Book of Records in its 1991 edition on page 288 writes "Polo: Origins: Origins of Polo can be traced to origins in Manipur State 3100 B.C. when it was played as Sagol Kangjei". The earliest club was the Cachar Club founded in 1859 in Assam, India. The oldest Polo Club in the world still in existence is the Calcutta Polo Club (1862).

The Manipur Polo International has recently conducted the 9th edition of its tournament in the oldest pologround, Mapal Kangjeibung at Imphal during the Manipur Mega Tourism Festival- the Sangai Festival.

I urge the Union Government and Ministry of youth Affairs and Sports in particular to assist the state government of Manipur to protect and preserve the ever decreasing number of ponies in Manipur and at the same time promote this oldest equestrian sports in all its full glory.

(xiv) Need to increase the salary of Anganwadi workers and helpers in the country

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Women and Child Development about the need to increase the salary for the Anganwadi workers and helpers in the country.

The Anganwadi Centres have been working in the country to help the children, particularly from poor and middle class families regarding nutrition, basic education, etc.,. Anganwadi workers and helpers are paid a sum of Rs.6,000/- and Rs. 3,000/- per month respectively which is very meagre. Considering the sky-rocketing of prices of essential commodities and the fact that Anganwadi workers and helpers normally come from very poor family, more financial assistance should be given to them.

Hence, I urge upon the Union Government to take immediate steps to increase the salary of Anganwadi workers and helpers in the country.

(O) xv Need to build underpasses and elevated tollways on N.H. 46 between Vellore and Vaniyambadi in Tamil Nadu

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): The stretch of NH 46 between Vellore and Vaniyambadi is accident prone. The maintenance and operation of NH 46 is with the L&T Tollway Concessionaire which operates two toll booths at Pallikonda and Vaniyambadi. Most accidents take place in Sathuvachari, Naickeneri, SN Palayam, Ambur and Vaniyambadi. Numerous appeals have been made to the NHAI and its Concessionaire L&T Tollway Ltd. to construct underpasses at Sathuvachari, Naickeneri and Vaniyambadi; elevated tollway at Ambur; and to straighten the road bend at SN Palayam etc. In Yellore, NH 46 runs into a tangle. The Green Circle is at the crucial road junction, instead of helping ease traffic it constricts the traffic flow. Traffic moves on the wrong side of the road increasing the chances of accidents. The toll-booths collect the highest toll in the country. Even agricultural produce is not spared. Despite collecting the highest toll, the L&T Concessionaire does not keep ambulances to attend to the medical needs of the injured. The toll-booths employees do not treat the peoples' representatives with respect and display an arrogant behaviour. Both L&T toll booths are within a distance of 60 KM which is illegal. The Ministry should dismantle these toll booths. At Ambur, the NHAI intends to undertake road expansion which would affect the livelihood of about 50000 persons. Instead, the NHAI may take the road through an elevated structure and spare the people. I, therefore, request the Ministry of Road Transport and Highways to direct the NHAI and L&T Concessionaire manning the NH 46 in Vellore District to build underpasses and elevated tollways, treat peoples' representatives with utmost respect, keep the tollbooths at 60 KM distance, reduce the toll charges to minimum and keep at least 2 Ambulances in a state of readiness to meet the medical emergencies.

**(xvi) Need for early completion of Tindivanam-Nagari
new broad gauge line**

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): Tindivanam - Nagari New BG line involves a distance of 180 km and passes through Villupuram, Tiruvannamalai, Vellore and Thiruvallur districts in Tamil Nadu and Chittoor in Andhra Pradesh. It crosses Cheyyar and Palar rivers. The new route would have 12 major bridges, 114 minor bridges, 66 level-crossings, 11 over-bridges across roads and 30 under-bridges. The proposed line will cover 8 taluks in 5 districts, 4 in TN and 1 in Andhra Pradesh. Out of this 4 Taluks namely Vandavasi, Cheyyar, Arcot and Pallipattu are getting railway network for the first time.

Though inauguration of the Rs.498-crore new rail route from Tindivanam to Nagari was held at the Old Ranipet Station in August 2007, but little progress has been made so far even after 8 years.

I, therefore, urge the Union Government to allocate adequate funds and focus more on the execution and completion of this new BG line which will benefit millions of people living in the five districts of Tamil Nadu and Andhra Pradesh.

(xvii) Need to provide policy papers and receipts of premium paid by the farmers covered under crop insurance policy scheme in the country

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से फल और फसल बीमा योजना चलाई जाती है लेकिन इस योजना का लाभ देश के किसी भी लोक सभा क्षेत्र के किसानों को अभी तक नहीं मिला है। इसलिए यह योजना किसानों के लिए है या बीमा कंपनियों के लिए है, यह गहन सोच का विषय है। बीमा कंपनी के माध्यम से हर साल करोड़ों रूपयों का बीमा निकाला जाता है लेकिन किसानों को इस योजना के तहत बीमा पॉलिसी तथा कोई बीमा दस्तावेज तक नहीं मिलता है। इसलिए उनकी फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए वह दावा भी पेश नहीं कर पाते हैं। यह सब बीमा कंपनी की इच्छानुसार कारोबार चलता है। किसानों के बैंक खाते से बीमा योजना की राशि की कटौती होती है लेकिन उनको इसकी कोई भी रसीद बीमा कंपनी से नहीं मिलती है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सभी बीमाधारक किसानों को पैसे भरने की रसीद और संबंधित सभी आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

**(xviii) Need to implement Andhra Pradesh Reorganisation Act
in letter and spirit**

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): I would like to point out one very important issue relating to implementation of Andhra Pradesh Reorganization Act.

As per the schedule 8 of the Act that was passed by the Parliament, the administration of Hyderabad is to be under the direct control of governor of two states until such time as decided, the administration of the common capital Hyderabad including important subjects like protection of rights, law and order, security of life etc., is to be done by the governor. In spite of this, the implementation is not being done in a favorable way for Andhra Pradesh. The grave injustice has been done to Andhra Pradesh. I would like to request Government to immediately look into sticking points of the Act and ensure that it is implemented both in its letter and spirit.

(xix) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Pratapgarh parliamentary constituency, Uttar Pradesh

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़) : मेरे लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) के मुख्यालय पर एक भी केन्द्रीय विद्यालय उपलब्ध नहीं है। जनपद की जनसंख्या लगभग 32 लाख व क्षेत्रफल 3800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। जनपद में एक छोर से दूसरे छोर तक की पहुँच भी लगभग 100 किलोमीटर है। यहाँ अभिभावक अपने बच्चों को केन्द्रीय स्कूल में ही शिक्षा दिलाना चाहते हैं जो उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही है। क्षेत्रीय जनता एवं केन्द्रीय एवं राज्यकर्मियों की मांग पर मैंने पूर्व में भी जिलाधिकारी के माध्यम से एक भूमि का प्राक्कलन व केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने हेतु माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा था।

उक्त परिस्थितियों में कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण अति आवश्यक है, क्योंकि पड़ोसी व अन्य जनपदों के केन्द्रीय विद्यालय में मेरे विवेकाधीन कोटे से जो भी प्रवेश गरीब बच्चों के होते हैं, उनके अभिभावकों पर सुरक्षा, संरक्षण व वित्तीय भार की चिंता रहती है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पिछड़े जनपद प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में वित्तीय वर्ष में एक केन्द्रीय विद्यालय बालक और बालिकाओं के उच्च स्तर की शिक्षा हेतु निर्माण कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष में धन आवंटन करने की कृपा करें।

(xx) Need to provide compensation to cotton growers of Haryana affected by the menace of whitefly

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): The unprecedented attack of whitefly had damaged most of the cotton crops in the state of Haryana and near about 3.06 lakh of 5.83 lakh hectare land with cotton cultivation have been affected. This has caused severe financial distress to the farmers. Therefore, the Central Government needs to provide compensation to the affected farmers and issue instructions to the State Government of Haryana to help the farmers in distress. The farmers of the state are still waiting for adequate compensation and requesting to waive off their loan. Adequate compensation by the Central Government needs to be provided to save the lives of the farmers in the state.

(xxi) Need to implement Chandkhira Bagan to Kahnmun and Baroigram to Dullabchera railway projects

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): A few years ago a survey was conducted for extension of Dullabchera section to Cheragi but the work is yet to commence.

The GM (Construction) North East Frontier Railways has surveyed and submitted the project report for another extension of broad gauge line from Patharkandi to Kahnmun to connect Mizoram and also informed me in writing. I took up the matter with the General Manager (construction) NF Railway, Malegaon with a request to start the broad gauge line from Chandkhira Bagan Railway Station to Kahnmun instead of Patharkandi, as it would be more convenient for the Railway travellers if Chandkhira Bagan Railway station is made as the junction point. All infrastructural facilities including land are available with the department at Chandkhira that can be used.

Recently Railway Minister announced that near about 500 Km new railway line per year will be constructed for North Eastern States. Now the gauge conversion is going on at Patharkandi and Chandkhira at Karimganj-Agartala section and also at Baroigram to Dullabchera section.

I, therefore, request the Railway Minister through you to kindly pass necessary orders to implement both the projects 'Chandkhira Bagan Railway station up to Kahnmun' and 'Baroigram to Dullabchera section' for better connectivity which is still out of the Railway Map.

**(xxii) Need to ensure safety of people living downstream of
Mullaperiyar dam**

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): There is no dispute for sharing of water from Mullaperiyar dam between Kerala and Tamil Nadu. The state of Kerala has always been ready and willing to share water with the Tamil Nadu as per the prevailing terms of agreement. The only concern is about the safety of the people living in the downstream of the Dam. It is a fact that the dam is not safe in the event of earthquake or flood. The dam is situated in a seismic prone area as certified by various agencies including IIT Roorkee. The Government should try to address the fear of the people living downstream of the dam. They face socio-economical and psychological trauma arising out of the safety aspects of the Dam due to its age and the century old technology used for its construction. After having found that the dam is unsafe, the Central Water Commission has reduced the storage capacity of the dam to 116 feet in the year 1979. Now the water level has been raised up to 142 feet that causes threat to the lives of more than 40 lakh of people. Hence I urge upon the Government to safeguard the interest of both the States by providing water to Tamil Nadu and ensuring the safety of the people living downstream of the dam.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से सदन की कार्यवाही बाधित है।... (व्यवधान) सुबह से हाउस में इस तरह से डिस्टर्बेंस बना हुआ है।... (व्यवधान) हम बिल्कुल चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले।... (व्यवधान) जो भी विषय हों, यदि आपके पास उसकी नोटिस है, और यदि आपकी इच्छा हो तो उन्हें सदन में अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए।... (व्यवधान) इसके अतिरिक्त माननीय स्पीकर के पास यदि कोई नोटिस हो।... (व्यवधान) हम पूरी तरह से इनके विषय को सुनना चाहते हैं, इनके विषय को समझना चाहते हैं।... (व्यवधान) लेकिन, अगर कोई बाहर की घटना हुई हो, जिससे ये सब आंदोलित हैं, और इन्हें लगता हो कि सरकार ने इसमें कुछ किया है।... (व्यवधान) ये बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाहर टिप्पणियां दे रहे हैं, बाहर वक्तव्य दे रहे हैं।... (व्यवधान) लेकिन, देश हमारे माननीय सदस्यों को, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को सुनना चाहता है कि आखिर विषय क्या है, जिसके कारण वे सदन के भीतर इस प्रकार का हंगामा कर रहे हैं।... (व्यवधान)

महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है।... (व्यवधान) आज सुखाड़ के विषय पर चर्चा है, जिसकी आपने अनुमति दी है।... (व्यवधान) उसमें सैंकड़ों की संख्या में माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं।... (व्यवधान) पूरे देश के किसान इस संसद की तरफ देख रहे हैं कि आखिर हमारे माननीय सांसद हमारी इस बदहाली के लिए, हम पर प्रकृति का जो प्रकोप पड़ा है, जिस प्रकार से हम प्रभावित हैं, पूरे देश में सूखा पड़ा है, सभी सुनना चाहते हैं कि हमारे माननीय सदस्य सूखे के सवाल पर किस प्रकार सदन में विषय उठाते हैं।... (व्यवधान) लेकिन, बड़ा अफ़सोस है कि कांग्रेस के मित्र बिना कोई कारण दिए हुए, पूरे सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं।... (व्यवधान) यहां तक कि जितने दूसरे माननीय सदस्य हैं, उनके भी पूरे प्रयास को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं।... (व्यवधान) इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि सूखे के सवाल पर, जब देश के 70 करोड़ किसान भारत के इस पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्र सूखे के सवाल पर चर्चा को सदन में चलने नहीं दे रहे हैं।... (व्यवधान) यह देश के गरीब किसानों के साथ कहां तक न्याय है? आज पूरे देश में सुखाड़ के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें अन्न का उत्पादन प्रभावित हुआ है और सकल घरेलू उत्पाद प्रभावित हुआ है।... (व्यवधान) आज भी सरकार बार-बार यह कह रही है कि किसानों के लिए विशेष चर्चा की जाए।... (व्यवधान) उसमें हमारे कृषि मंत्री जवाब देना चाहते हैं।... (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि जो कुछ हम करेंगे, गरीब के लिए, किसान के लिए, मज़दूर के लिए, नौजवान के लिए करेंगे।... (व्यवधान) क्या ये कांग्रेस के सदस्य पूरे देश को यह बताएंगे कि आखिर किस विषय पर ये सदन के भीतर इस प्रकार से नारा लगा रहे हैं? यदि बाहर

का कोई मामला है, जैसा कि हमें लगता है, हमें जानकारी नहीं है, जो हमारा अनुमान है कि बाहर में किसी कोर्ट के विषय को लेकर, जिसमें कोर्ट ने किसी विषय का संज्ञान लिया है, इनकी अपनी एक अपील थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।... (व्यवधान) देश का कानून सबके लिए बराबर है।... (व्यवधान) यह केस कोई आज का केस नहीं है, जिसके बारे में चर्चा करें।... (व्यवधान) यह केस तो वर्षों से है और इसका संज्ञान लिया गया है।... (व्यवधान) यह सरकार 16 महीनों से है।... (व्यवधान) आखिर यह विषय पहले क्यों नहीं आया, जिसे आज ये उठाना चाह रहे हैं? ... (व्यवधान) जो सदन के बाहर की गतिविधि है, कानून की कार्रवाई है, जुडीशियल प्रॉसेस है, उस प्रॉसेस में आखिर सरकार की क्या भागीदारी हो सकती है? ... (व्यवधान) हम तीनों, न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद सबको अलग मानकर चलते हैं।... (व्यवधान) पूरे संविधान की मर्यादा को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अपनी कुर्सी पर जाकर अपने विषय को पूरे देश को बतायें कि आखिर विषय क्या है, क्यों आंदोलित हैं, क्यों सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, सूखा के सवाल पर बहस सदन में क्यों नहीं होने दे रहे हैं? ... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप इनसे यह अपील करें, कांग्रेस के मित्रों से अपील करें। ... (व्यवधान) इन्होंने बीएसी की बैठक में कहा था कि आप सूखे पर चर्चा की शुरुआत कराएं, हम जितने विधायी कार्य हैं, उन्हें पारित कराएंगे।... (व्यवधान) सूखे पर सवाल लिया गया है।... (व्यवधान) कल इनको विशेष रूप से, कांग्रेस पार्टी को, जबकि सीपीएम का नोटिस था, फिर भी हमने अनुमति दिलवायी, सदन ने आग्रह स्वीकार किया कि कांग्रेस के सदस्य इस विषय को उठा सकते हैं।... (व्यवधान) कांग्रेस के सदस्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सूखे पर बहस शुरू की। ... (व्यवधान) आज जब बहस का सिलसिला जारी रखना था, तो माननीय सदस्य आकर इस प्रकार से सदन के भीतर नारेबाजी कर रहे हैं। ... (व्यवधान) यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ... (व्यवधान) देश के किसानों के खिलाफ है। ... (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी अपने इस व्यवहार से देश के किसानों के खिलाफ एक वातावरण पैदा कर रही है। ... (व्यवधान) देश के किसान, गरीब और मजदूर ... (व्यवधान) देश की इस गरीबी और खासकर इस वातावरण में जहां पूरे देश में एक सुखाड़ का वातावरण है ... (व्यवधान) संसद को न चलने देने की स्थिति में देश के किसानों के साथ बड़ा आघात कर रहे हैं और स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ... (व्यवधान)

14.07 hours**DISCUSSION UNDER RULE 193****Drought situation in various parts of the Country – Contd.**

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Item No.19. Further discussion on the drought situation in various parts of the country raised by Shri Jyotiraditya M. Scindia on 7th December, 2015.

Shri Ashok Kumar - Not present.

Shri Sanjay Jadhav.

... (*Interruptions*)

*SHRI SANJAY HARIBHAU JADHAV (PARBHANI): Thank you, Sir, with blessings of hon. Shivsena Chief Balasaheb Thakre, I rise to take part in the discussion on drought on behalf of Shivsena. ... (*Interruptions*) For the last three years, our country especially Maharashtra is facing drought situation. In this regard, some measures should be taken but they are being taken. Farmers are consistently facing drought situation in the State. ... (*Interruptions*)

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Mr. Deputy Speaker, Sir, stalling the House for no reason like this is highly undemocratic. How can the Government interfere with the administration of justice by the judiciary? Can we dictate terms to judges? Everybody knows everything. Stalling the House like this is undemocratic. It is not fair. ... (*Interruptions*)

Yesterday we began the discussion on drought in the country. Now they are not interested in that. Some personal vendetta issue is being brought inside the Parliament and they are stalling the House. It is quite undemocratic, Sir. This is intolerable. ... (*Interruptions*)

The people of the country are watching as to how these MPs are behaving inside the Parliament instead of discussing issues which are in the larger interest of the country which need to be taken into consideration. Congress people should go to their places and explain why they are coming inside the well of the House. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to say something, go to your places and speak. Would Mr. Kharge like to say something regarding this?

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, I do not want to say anything because they never allowed me any time.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please go to your seats.

... (*Interruptions*)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : (व्यवधान) ये संसद को अखाड़ा बनाना चाहते हैं। ... (व्यवधान) यह लोकराज की नीति का उल्टा है। ... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि एक गंभीर मामले पर जब बहस हो रही हो, तब कांग्रेस वाले उसमें टांग अड़ते हैं। ... (व्यवधान) इनको ऐसी बातें नहीं करनी

चाहिए। ... (व्यवधान) आज देश का किसान खुदकुशी करने पर तुला हुआ है। ... (व्यवधान) किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। ... (व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): सर, तेलंगाना एरिया के अंदर अकाल पड़ा हुआ है। ... (व्यवधान)

There are a lot of farmers who are looking forward to the decision of the Parliament. In our State, 231 mandals have been declared as drought-prone areas. ... (*Interruptions*) So, we want a discussion which has to be held in the Parliament. ... (*Interruptions*) A discussion under Rule 193 has to be held and we have to take a decision on that. This is a very important decision. ... (*Interruptions*) You have to allow this discussion to go ahead.

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, I request you to go to your seats, rise there and if you want to say anything, you can do so.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I am allowing if you want to say something.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Hon. Deputy Speaker Sir, in my capacity as Minister of State for Parliamentary Affairs, I have a right to talk to the Members of all political parties that they have a right to speak. ... (*Interruptions*) The Members from all political parties, from Akali Dal to TDP, want to speak. ... (*Interruptions*) I am very surprised and very shocked that my talking to the Members of various political parties who have an issue to raise was obstructed by Shrimati Sonia Gandhi. ... (*Interruptions*) I really do not know why she is getting upset about it.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned till 3:00 pm.

14.12 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Fifteen
of the Clock.*

15.00 hours

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

... (*Interruptions*)

15.0 ½ hours

(At this stage, Shri Deepender Hooda and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (*Interruptions*)

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष जी, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बहस चल रही है, ...(व्यवधान) पंजाब के किसान मर रहे हैं, वहां के किसान खुदखुशी कर रहे हैं ...(व्यवधान) कांग्रेस के लोगों ने इस विषय पर बोला, आज जब हमारी बारी आई तब नारे लगा रहे हैं, हाऊस को नहीं चलने दे रहे हैं, ...(व्यवधान) मैं पंजाब पुलिस के फेक इनकाउंटर का मामला उठाना चाहता था। बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं ...(व्यवधान) पंजाब में फेक इनकाउंटर का एक मामला दिल दहला देने वाला है, इस घटना का खुलासा हुआ है, ...(व्यवधान) कांग्रेस वाले हाऊस को नहीं चलने दे रहे हैं, यह लोकतंत्र की हत्या है ...(व्यवधान)।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Sanjay Jadhav, you start speaking.

... (*Interruptions*)

15.01 hours**DISCUSSION UNDER RULE 193****Drought situation in various parts of the Country – Contd.**

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we shall take up Item No. 19 – Further discussion on the drought situation in various parts of the country raised by Shri Jyotiraditya M. Scindia on 7th December, 2015.

Shri Sanjay Jadhav

*SHRI SANJAY HARIBHAU JADHAV (PARBHANI): Hon. Deputy Speaker Sir, in our country, lot of farmers have committed suicide due to drought situation. There are many reasons responsible for it, like bank loans, water level issue etc. For revenue collection, Government has permitted sand extraction from river beds ... (*Interruptions*)

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सब बहुत दुखी हैं ... (व्यवधान) आज सदन के भीतर हम सुबह से आग्रह कर रहे हैं ... (व्यवधान) कांग्रेस के सदस्य किस विषय को उठाना चाहते हैं, ... (व्यवधान) आखिर उन्हें किस बात से आघात पहुंचा है ... (व्यवधान) उनकी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी यहां उपस्थित हैं ... (व्यवधान) वे स्वयं आकर अपने सांसदों को कह रही हैं ... (व्यवधान) कि सदन नहीं चलने देना है, वह सदन में खुद उपस्थित हैं। ... (व्यवधान) सदन के सदस्य जानना चाहते हैं कि वह कौन सा विषय है जिसके कारण सदन में हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य उत्तेजित हैं, ... (व्यवधान) सूखे के सवाल पर हर सदस्य बोलना चाहते हैं ... (व्यवधान) भगवंत मान जी बोलना चाहते हैं, शिवसेना के हमारे सदस्य बोलना चाहते हैं ... (व्यवधान), अकाली दल के लोगों ने बोला है ... (व्यवधान) बीजेपी के सदस्य सूखे के सवाल पर बोलना चाहते हैं ... (व्यवधान)। देश के करोड़ों किसान सदन की तरफ देख रहे हैं ... (व्यवधान) कि सरकार सूखे के सवाल पर क्या पहल करना चाहती है ... (व्यवधान)। सोनिया जी सदन में हैं, अगर उनके सदस्य कोई बात रखना चाहते हैं ... (व्यवधान) या बाहर किसी तरह की घटना हुई है, किसी न्यायिक घटना के कारण किसी प्रकार का उनको उत्पीड़न हो रहा हो ... (व्यवधान), सदन के सामने एक सदस्य की हैसियत से वह अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं ... (व्यवधान) उनके सदस्य अपनी बात रख सकते हैं ... (व्यवधान), पूरे सदस्यों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि आज बिना किसी कारण के, बिना किसी विषय के, आज सदन की गतिविधि बाधित कर रहे हैं ... (व्यवधान) आप नारे लगा रहे हैं, आप देश में यह संवाद पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम सदन नहीं चलने देंगे ... (व्यवधान)।

महोदय, यह अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है ... (व्यवधान), यदि आपके खिलाफ आरोप है ... (व्यवधान) या उसके कारण यदि आप आंदोलित हैं तो अपने विषय को रखें, न्यायालय में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ... (व्यवधान) मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि किसी न्यायालय की घटना को लेकर कांग्रेस के माननीय सदस्य इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं, ... (व्यवधान) सरकार का इससे कुछ भी लेना-देना नहीं है ... (व्यवधान), न सदन का इससे कुछ लेना-देना है। सदन के बहुमूल्य समय को ... (व्यवधान) सूखे के सवाल पर पूरा देश बहस सुनना चाह रहा है ... (व्यवधान) मैं सीधे तौर पर ... (व्यवधान) कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हाउस के भीतर उपस्थित होकर माननीय सदस्यों से आग्रह नहीं कर रही हैं ... (व्यवधान) कि वे सदन को बाधित न करें। ... (व्यवधान) उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है। ... (व्यवधान) उन्होंने कोई विषय नहीं उठाया है। ... (व्यवधान) उन्होंने किसी विषय को नहीं रखा है और टीएमसीके सदस्य ... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, what is happening?... (*Interruptions*) Sir, the allegations of vindictiveness are appearing in the minds of the Opposition Parties. The Opposition Parties are feeling that vindictiveness is causing uneasiness in their normal functioning. So, vindictiveness of the Government, in any form, towards the Opposition is to be stopped.... (*Interruptions*) A few minutes' back, Leader of the Indian National Congress Party, Madam Sonia was correctly saying that the day Shri Kharge was trying to raise the issue of *dalits*, he was not allowed to speak. His mike was switched off, which normally does not happen in the case of the Leader of the Opposition. That is the reason why we are protesting together. Some Members may be in the Well and some may not be in the Well but we are united on this issue and we want to see that the Opposition Parties are not made target by the Government.... (*Interruptions*)

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदया, सुदीप बन्दोपाध्याय साहब ने यह विषय रखा है कि हम विन्डिक्टिव हैं और सरकार विन्डिक्टिव है। ... (व्यवधान) अगर सदस्य के पास ऐसे प्रमाण हैं कि सरकार विन्डिक्टिव है तो हम आग्रह करेंगे कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर ... (व्यवधान) और अगर सोनिया जी को यह लगता है कि हम विन्डिक्टिव हैं ... (व्यवधान) सरकार उनके खिलाफ है, तो वे स्वतंत्र हैं कि सदन के फ्लोर पर आकर हमें बतायें कि किस प्रकार से हम विन्डिक्टिव हैं। ... (व्यवधान)

महोदय, अगर कोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातों पर संज्ञान लिया है, तो आखिर यह पूरा सदन उसके लिए किस प्रकार से जिम्मेदार है? ... (व्यवधान) आखिर यह पूरा देश उसके लिए किस प्रकार से जिम्मेदार है? ... (व्यवधान) यदि ज्यूडिशियरी कोई निर्णय लेता है या कोई संज्ञान लेता है, तो हम किस प्रकार से विन्डिक्टिव हैं? ... (व्यवधान) हमारी सरकार अठारह महीने से है। ... (व्यवधान) हम इस काम को कर रहे हैं। ... (व्यवधान) अभी तक इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य आकर यह बात नहीं रख रहा है ... (व्यवधान) हम स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि आप ... (व्यवधान)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, they are alleging that the ruling party is vindictive and our vindictiveness is harming them. They should spell out what exactly the thing is.... (*Interruptions*) They cannot simply agitate here. You are

directing them to go back to their seats. Let them tell what exactly they want. Simply standing in the Well does not serve the purpose. It is quite undemocratic and this attitude will not be tolerated.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I would request all the Members to go back to their seats.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 9th December, 2015, at 11 a.m.

15.09 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Wednesday, December 9, 2015/Agrahayana 18, 1937(Saka).*
